

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —: कार्यालय आदेश —:

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 54 अम्पार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अम्पार्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/08 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रुल्ल/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अम्पार्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि/से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अम्पार्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।


51

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे ।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें ।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे ।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये ।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी ।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें । जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे ।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावे एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2), विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)


  
(सौरभ स्वामी)

आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2020  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, .....संभाग को सूचनार्थ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को संलग्न सूची ( चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल ..... ) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित संमस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावे ।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे ।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग ।
10. रक्षित पत्रावली ।

  
उप निदेशक(प्रशासन),  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**आवेदित पद :- च.श्रे.क.**

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य  
साप्र/ए-4/3901 /नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक ~~06.07.2020~~ के तहत 54 च.श्रे.क. पद पर नियुक्ति  
का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक  
12,400/-रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	5	4	6	2	3	9
1	घनश्याम आचार्य आठवीं 03.06.1991	पुत्र	17.01.2020 च.श्रे.क.	ओमप्रकाश आचार्य च.श्रे.क.	13.12.19	बीकानेर
2	दलीप कुमार छठी 12.08.1984	पुत्र	03.06.2020 च.श्रे.क.	कुलवन्त कुमार च.श्रे.क.	10.04.20	गंगानगर
3	शीला देवी आठवीं 12.01.1980	पत्नी	27.01.2020 च.श्रे.क.	बन्टी महावर अध्यापक पराज	18.11.19	गंगानगर
4	कमल उ.डी 05.01.1996	पुत्र	19.02.2020 च.श्रे.क.	कैलाश प्रबोधक पराज	20.12.19	हनुमानगढ़
5	कुलजिन्द कौर सैंकेंडरी 13.09.1982	पत्नी	13.06.2019 च.श्रे.क.	सत्यपालसिंह प्रबोधक पराज	01.05.19	हनुमानगढ़
6	प्रेयंका सातवीं 01.10.1987	पत्नी	08.07.2019 च.श्रे.क.	पवन कुमार वि.अ. पराज	04.06.19	चूरु
7	गहेंद्रसिंह शेखावत सैंकेंडरी 25.12.1996	पुत्र	28.02.2019 च.श्रे.क.	सुरेन्द्रसिंह शेखावत प्रबोधक पराज	10.11.16	सीकर
8	दीपक कवर सैंकेंडरी 05.12.1994	पत्नी	13.12.2019 च.श्रे.क.	कंवरराजसिंह अध्यापक पराज	28.10.19	झुझुनू
9	संगज आठवीं 06.04.1988	पत्नी	05.04.2019 च.श्रे.क.	राजेश कुमार कानि० क-2	16.01.19	झुझुनू
10	सुनिता देवी साक्षर 01.01.1984	पत्नी	10.05.2020 च.श्रे.क.	राधेश्याम अम्बावता प्रबोधक पराज	30.04.20	झुझुनू
11	राजकुमार वर्मा सातवीं 15.08.1993	पुत्र	20.06.2019 च.श्रे.क.	गुलाबचन्द वर्मा च.श्रे.क प्राशि	03.04.19	जयपुर
12	भूपेश कुमार यादव सैंकेंडरी 27.12.1993	पुत्र	19.09.2019 च.श्रे.क.	विनोद कुमार यादव व.स.	12.08.19	अलवर
13	गगरा देवी आठवीं 10.11.1974	पत्नी	26.03.2018 च.श्रे.क.	बनवारी लाल प्रबोधक पराज	16.02.18	अलवर
14	गोपाल भील सैंकेंडरी 02.09.1992	पुत्र	29.11.2019 च.श्रे.क.	भंवर लाल भील च.श्रे.क.	01.09.19	जोधपुर
15	शांति देवी साक्षर 05.01.1969	पत्नी	03.07.2017 च.श्रे.क.	मोमराज कानि० क-2	01.10.13	जोधपुर
16	राजेश कुमार आठवीं 10.08.1995	पुत्र	24.06.2019 च.श्रे.क.	रामा राम अध्यापक प्राशि	27.04.19	बाडमेर
17	विकास चौधरी सैंकेंडरी 05.05.2019	पुत्र	25.10.2018 च.श्रे.क.	रामकिशोर सिंह अध्यापक प्राशि	25.09.18	जैसलमेर
18	पार्वती साक्षर 01.12.1974	पत्नी	23.02.2018 च.श्रे.क.	कुन्नाराम स.उ.नि. क-2	23.07.15	पाली

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
19	अयोध्या देवी सातवी 01.10.1976	पत्नी	18.01.2020 चश्रेक	घनश्याम दास वैष्णव प्रबोधक पराज	12.12.19	सिराही
20	भगता आठवी 16.10.1987	पत्नी	06.03.2020 चश्रेक	प्रवीण कुमार व0अ0	03.02.20	जालौर
21	चन्द्रा देवी पांचवी 20.07.1989	पत्नी	24.07.2019 चश्रेक	यालाराम कानि0 क-2	01.06.19	जालौर
22	रतनलाल सातवी 10.05.1988	पुत्र	03.09.2019 चश्रेक	जेदुराम चश्रेक	29.06.19	नागौर
23	माया सियाग सैकेण्डरी 10.11.1987	पत्नी	03.01.2020 चश्रेक	हुक्मराम प्रबोधक पराज	09.11.19	नागौर
24	अर्जुन कुमार शाक्यवाल छठी 15.01.1993	पुत्र	10.12.2009 चश्रेक	हरिप्रसाद शाक्यवाल अध्यापक पराज	14.11.09	भीलवाड़ा
25	देवीलाल प्रजापत आठवी 02.05.1990	पुत्र	26.09.2019 चश्रेक	लाडूलाल प्रबोधक पराज	31.08.19	भीलवाड़ा
26	सुशीला देवी मीणा साक्षर 01.01.1983	पत्नी	02.05.2018 चश्रेक	बनाराम मीणा प्रबोधक पराज	31.03.18	भीलवाड़ा
27	कृष्णदीप नागर सैकेण्डरी 27.05.2002	पुत्र	12.11.2019 चश्रेक	रामलाल नागर व0अ0 प्राशि	15.12.17	टाँक
28	मीरा देवी साक्षर 08.04.1975	पत्नी	10.10.2019 चश्रेक	सूखाराम प्रबोधक पराज	28.08.19	भरतपुर
29	गौरा सातवी 05.07.1991	पत्नी	13.05.2020 चश्रेक	गोविन्द क0स0	17.02.20	भरतपुर
30	अनूप राजपूत आठवी 25.05.1997	पुत्र	02.07.2019 चश्रेक	राम अवतार प्रधानाचार्य	03.06.19	भरतपुर
31	प्रजली साक्षर 18.12.1987	पत्नी	30.05.2016 चश्रेक	प्रेमसिंह प्रबोधक पराज	02.05.16	धौलपुर
32	केशन्ता गुर्जर पांचवी 01.01.1983	पत्नी	05.02.2018 चश्रेक	रामचन्द्र गुर्जर अध्यापक पराज	02.01.18	धौलपुर
33	सतरा देवी साक्षर 30.10.1991	पत्नी	09.04.2018 चश्रेक	रूपसिंह गुर्जर कानि. क-2	23.12.17	सवाई माधोपुर
34	अपिन्द्रपाल सिंह आठवी 01.07.1994	पुत्र	09.09.2011 चश्रेक	विजयसिंह जाटव अध्यापक पराज	14.03.09	करौली
35	बबिता द्वितीया 15.05.1976	पत्नी	05.09.2019 चश्रेक	सुरेश सिंह प्रबोधक पराज	16.06.19	करौली
36	सूरज प्रजापत सैकेण्डरी 07.11.2001	पुत्र	23.04.2019 चश्रेक	रामगोपाल प्रजापत अध्यापक प्राशि	11.02.19	कोटा

561

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
37	उमन्ता कुमारी गोचर मौवी 07.06.1999	पत्नी	07.03.2020 चश्रेक	भगवान सिंह चश्रेक	02.02.20	बूदी
38	बंराराम मीणा सैकेण्डरी 10.09.1985	पुत्र	10.12.2019 चश्रेक	कालूलाल मीणा चश्रेक	13.09.19	बूदी
39	मंजू बाई साक्षर 01.01.1980	पत्नी	29.07.2016 चश्रेक	शंकर लाल रंगर प्रबोधक पराज	20.07.16	बूदी
40	सुनी बाई साक्षर 01.01.1973	पत्नी	14.07.2019 चश्रेक	बद्रीलाल तंवर प्रबोधक पराज	11.05.19	झालावाड
41	बिज्लू देवी मीणा साक्षर 15.10.1979	पत्नी	23.04.2018 चश्रेक	रामप्रसाद मीणा अध्यापक पराज	24.02.18	झालावाड
42	गणेश लाल खराडी मौवी 10.09.1998	पुत्र	03.10.2016 चश्रेक	कालू लाल खराडी चश्रेक प्राशि	13.08.16	उदयपुर
43	भरेश कुमार अहारी मौवी 08.07.1988	पुत्र	23.01.2019 चश्रेक	छगनलाल अध्यापक पराज	20.12.18	उदयपुर
44	गुजली देवी पटेल साक्षर 25.06.1980	पत्नी	21.12.2019 चश्रेक	भगवती लाल पटेल अध्यापक पराज	14.11.19	उदयपुर
45	देवेन्द्र कुमार मीणा छंडी 21.12.1988	पुत्र	11.08.2014 चश्रेक	अमरचन्द मीणा अध्यापक प्राशि	24.10.01	उदयपुर
46	गर्वेन्द्र कंवर चढाणा सप्तमी 18.06.1997	पत्नी	07.07.2017 चश्रेक	रूपेश सिंह अध्यापक प्राशि	19.04.17	राजसमन्द
47	गुणेश गोस्वामी अष्टमी 15.10.1988	पत्नी	28.12.2017 चश्रेक	चन्द्रगिरी गोस्वामी अध्यापक पराज	28.11.17	डूंगरपुर
48	रुन्या देवी जाट निरक्षर 01.01.1967	पत्नी	28.05.2019 चश्रेक	बंशीलाल जाट व.अ.	18.03.19	चित्तौड़गढ़
49	निरमा देवदा पाचवी 02.03.1993	पत्नी	20.01.2020 चश्रेक	कमलसिंह देवदा व.अ.	31.10.19	बांसवाडा
50	गिरी तीसरी 04.06.1977	पत्नी	23.09.2015 चश्रेक	पुनिया डामोर प्रबोधक पराज	28.08.15	बांसवाडा
51	रुक्माणी रावल साक्षर 01.01.1974	पत्नी	13.04.2011 चश्रेक	गणेश लाल रावल व0अ0 पराज	08.03.11	बांसवाडा
52	कुन्दाश गर्ग सैकेण्डरी 30.06.1992	पुत्र	13.01.2018 चश्रेक	जसोदा गर्ग चश्रेक	01.11.17	बांसवाडा
53	नवीन डिण्डोर मौवी 05.12.1989	पुत्र	10.12.2012 चश्रेक	शंभुसिंह व.अ. पराज	26.10.12	बांसवाडा
54	दीपिका सैकेण्डरी 01.03.1987	पत्नी	06.01.2020 चश्रेक	देवसिंह मईडा व्याख्याता	23.11.19	बांसवाडा

नोट :- क्र.सं. 07, 15, 18, 27, 33, 34 एवं 45 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर